न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 94/2021

शीशराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, हाल निवासी धनूरी, तसहील मलसीसर, जिला झुन्झुनू। —अपीलान्ट—

बनाम

1. श्यामसिंह पुत्र नरसा जाति जाट, निवासी धनूरी, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।
2. राजेन्द्र पुत्र बीरबलराम जाति जाट, निवासी रामपुरा हाल निवासी धनूरी, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट्स—

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.05.2021 बअदालत तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू बाबत नामान्तरकरण संख्या 790 ग्राम धनूरी अ.धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश पुनियां, एडवोकेट............................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट....................रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री अजय मुन्दड़िया, एडवोकेट..........................रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 12.2.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 182 रकबा 0.74 हैक्टर खसरा नम्बर 92 रकबा 0.01 हैक्टर सरहद ग्राम धनूरी तहत तहसील मलसीसर में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत नामान्तरकरण संख्या 790 दिनांक 26.05.2021 तहसीलदार मलसीसर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में स्वीकार किया है उक्त आलौच्य निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है प्रस्तुत अपील के मद संख्या 2 में वर्णित भूमि पहले तत्कालिन ठिकाना खेतड़ी की जमीन थी। उक्त गत खसरा नम्बर 138 ग्राम धनूरी की जमीन को तत्कालीन ठिकाना से अपीलान्ट के नाना जी लालाराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.02.18 12:03:09 IST
Reason: Self Attested

सेवाराम जाति जाट निवासी धनूरी ने लगान के बदले काश्त हेतु तत्कालीन ठिकाना को लगान अदा कर बतौर टीनेन्ट काबिज काश्त रहा। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 प्रभाव में आने पर बाई आपरेशन आफॅ लॉ उक्त भूमि का खातेदार अपीलान्ट का नाना लालाराम हुआ। भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 12 बीघा 8 बिश्वा का पहले खातेदार अपीलान्ट का नाना लालाराम हुआ। गत खसरा नम्बर 134 के हाल खसरा नम्बर 91 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नम्बर 183 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 190 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन कुआं, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 1.72 हैक्टर बने। प्रकरण में विवादित उक्त भूमि जरिये दान पत्र दिनांकित 25.10.1978 के माध्यम से आपीलान्ट की माता भानी को प्राप्त हुई। अपीलान्ट की माता भानी की मृत्यु होने पर उक्त भूमि उतराधिकार में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजेन्द्र को प्राप्त हुई। वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बराबर–बराबर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि राजकीय कर्मचारियों ने गलती से राजस्व रिकार्ड में राजकीय दर्ज कर दी तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 138 के राजस्व में नरसा के नाम गलत रूप से खसरा गिरदावरियों में दर्ज कर दिया जबकि उक्त जमीन गत खसरा नम्बर 138 ग्राम धनूरी पर नरसा या उसके पुत्रों का कभी कब्जा काश्त नही रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बाला बाला रूप से जमीन गत खसरा नम्बर 138 ग्राम धनूरी बाबत गलत रूप से उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के न्यायालय में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बिना पक्षकार बनाये गलत दावा पेश किया तथा गलत रूप से राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील पेश कर गलत निर्णय पारित करवाया है। तहसीलदार मलसीसर ने नामान्तरकरण संख्या 790 ग्राम धनूरी बिना कब्जा काश्त की जांच किये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में स्वीकृत किया है। नामान्तरकरण स्वीकार किये जाते समय अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कोई नोटिस नही दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 790 दिनांक 26.05.2021 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराया तथा लिखित बहस प्रस्तुत की जिसका सार निम्न प्रकार है– कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक फर्जी एवं कूटरचित दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के यहां श्यामसिंह बनाम सरकार मुकदमा नम्बर 90/2000 पेश किया जो दिनांक 29.10.2005 को निर्णित होकर खारीज हो चुका है। उक्त दावा की अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 24.02.2009 को [illegible] श्यामसिंह के पक्ष में पारित हो गया। उक्त जमीन खसरा नम्बर 138 रकबा 2 बीघा 19 बिश्वा गैर मुमकिन खान सरकारी दर्ज होने पर तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के यहां अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2022.02.18 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

पेश राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनू के फैसले को स्टे दिनांक 13.03.2012 करवा दिया जो आज दिनांक तक जारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त स्टे की जानकारी होने के बावजूद दिनांक 29.01.2021 को उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के यहां पुराने फैसले दिनांक 25.02.2009 की नकल लगाकर एक प्रार्थना पत्र इतंकाल भरने बाबत पेश किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने आदेश कर उसी दिन तहसीलदार मलसीसर भेज दिया तथा तहसीलदार मलसीसर ने उसी दिन हल्का पटवारी के नाम आदेश कर दिया जबकि श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर के स्टे(स्थगन) की जानकारी समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों को थी तथा श्याम सिंह ने जानबूझ कर सभी को मुगालते में रखकर उक्त इन्तकाल तस्दीक करवाया जो फर्जी है। अन्त में अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2024 अपास्त करने का निवेदन किया।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि तहसीलदार मलसीसर ने उक्त इन्तकाल राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनू की डिक्री पर दिनांक 19.04.2021 को दर्ज हुआ। अतः नामान्तरकरण कानूनी रूप से सही स्वीकृत हुआ है। अपीलान्ट यदि फैसले से व्यथित है तो अपीलीय कोर्ट में आगामी कार्यवाही करने को स्वतन्त्र है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित स्थगन की प्रतिलिपि सलंग्न की गई है। इसके अलावा कार्यालय जिला कलक्टर(सतर्कता) झुन्झुनू द्वारा एक परिवाद में तहसीलदार मलसीसर से चाही गई रिपोर्ट में तहसीलदार मलसीसर ने प्रकरण में विवादित भूमि जिसमें नामान्तरकरण संख्या 790 स्वीकृत हुआ है पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 13.03.2021 स्थगन पारित किया जाना बताया है जिसके आदिनांक तक निरन्तर जारी होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसी रिपोर्ट में तहसीलदार मलसीसर ने प्रकरण में विवादित भूमि के खसरों पर उक्त नामान्तरकरण सहवन से दर्ज होना माना है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 790 दिनांक 26.05.2021 को निरस्त किया जाना समीचीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.02.18 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 790 दिनांक 26.05.2021 को निरस्त किया जाता है। मिसल अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के

साथ प्रेषित की जाती है कि वह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित स्थगन के अन्तर्गत रिकार्ड की यथास्थिति रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.02.18 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested